189

संख्याः– 470 / XXVII(1)/ 2014

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
कुमायूँ मण्डल,
नैनीताल,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 30 मार्च,2016

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के क्रम में विशेष प्रयोजन अनुदान हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार जिला पंचायत नैनीताल को विशेष प्रयोजन अनुदान के अर्न्तगत हल्द्वानी–काठगोदाम के अर्धशहरी क्षेत्रों में सफाई और ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं की व्यवस्था के लिए समुचित संस्थागत प्रबंध बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 हेतु निर्धारित **₹6829000.00 (₹अड़सठ लाख उन्तीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(i) उक्त धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है इसमें किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य नही होगा।

(ii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग जिला पंचायत नैनीताल द्वारा आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल के मार्ग निर्देशन में किया जायेगा।

(iii) उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 के प्राविधानों के अर्न्तगत ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) टी०ए०सी० द्वारा लगाई गई शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(v) कोषागार से धनराशि आहरित करने हेतु बिल अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा तथा मंडल के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी नैनीताल से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित किया जायेगा।

(vi) संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए मंडलायुक्त एवं विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ट लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकार, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

(vii) उपयोगिता प्रमाण–पत्र मंडलायुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण भी भेजना होगा।

489 A

(viii) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता–प्रमाण 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

(ix) संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखार्शीषक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196– जिला पंचायतें/परिषदें–04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

(x) अलोटमेन्ट आई. डी. नम्बर – H1603073809 संलग्न है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्याः– 470(1)/XXVII(1)/2014 तद्दिनांक।– 30-3-016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड , देहरादून।
2– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी नैनीताल, उत्तराखण्ड ।
4– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत नैनीताल।
7– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
8– निदेशक वित्त आयोग निदेशालय कक्ष संख्या 223 विश्वकर्मा भवन, द्वितीय तल सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9– एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रीता क्वीरा)
अनु सचिव, वित्त।